प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)का कार्यालय, केरला, तिरुवनंतपुरम OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT II), KERALA THIRUVANANTHAPURAM

सं.लेप II /प्रशा./ III/प्रशि/11-1/2022-23/ No.Au.II/Admn/III/Tr/11-1/2022-23/

कार्यालय आदेश सं./ OFFICE ORDER No.24

विषय: ऑन लाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम – बाबत् Sub:- Online training programme- reg.

लेखापरीक्षा दलों तथा मुख्यालय अनुभागों के सदस्यों को लोक निर्माण के विभिन्न पहलुओं का अद्यतन करने तथा लेखापरीक्षा अभिगम कुशलता को सुधारने के प्रति सक्षम करने के लिए लोक निर्माण लेखापरीक्षा पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की गयी है। प्रशिक्षण 8 जून 2022 से 2 जूलाई 2022 तक सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार तक) पर एक घण्डे की समयावधि के लिए निर्धारित किया गया है। ऑन लाइन प्रशिक्षण का लिंक उनसे संबंधित मुख्यालय अनुभागों को अग्रेषित किया जाएगा जो वदले में भागीदारों के साथ साझा किया जाएगा। संबंधित मुख्यालय अनुभागों की पूर्वानुमित के साथ सबसे अपरिहार्य स्थितियों को छोडकर, लेखापरीक्षा दलों तथा मुख्यालय अनुभागों के सभी सदस्य प्रशिक्षण में भाग लेंगे। मुख्यालय अनुभाग, लेखापरीक्षा दलों के सदस्यों की प्रभावी भागीदारी कडाई से सुनिश्चित करें।

An online training programme on Public Works Audit has been arranged to enable the members of audit party and headquarters sections to update various aspects of Public Works and to refine their skill of audit approach. The training is scheduled from 8 June 2022 to 8 July 2022 with one hour duration on all working days (Monday to Friday). The link to the online training will be forwarded to their respective headquarters sections which in turn will be shared to the participants. All members of field parties and headquarters sections shall attend the training sessions except on most unavoidable circumstances with prior permission of headquarters section concerned. Headquarters sections may ensure effective participation of members of audit parties scrupulously. Effective and meaningful interactions from participants are welcome.

प्रशिक्षण की अनुसूची संलग्न है। The schedule of training programme is attached.

हस्ता

दिनांक/Dated: 07.06.2022

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन एवं एएमजी I) Sr. Deputy Accountant General (Admn& AMG I)